

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.2 ()/लेखा/बजट/मा.भु/आईसीडीएस/2017 48937-969 जयपुर, दिनांक 28-3-18

समस्त उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान।

विषय :- आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करने बाबत।

सन्दर्भ :- निदेशालय का पत्रांक 44096-128 दिनांक 22.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि निदेशालय द्वारा आवंटित बजट का समय पर पूर्ण उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया था। IFMS को देखने पर पाया गया कि पूरक पोषाहार एवं मानदेय में बजट आवंटित होने के पश्चात् भी आज दिनांक तक व्यय नहीं किया गया। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर 22329-368 दिनांक 23.03.2018 के अनुसार कोषालय/उप कोषालय दिनांक 30.03.2018 एवं 31.03.2018 को खुले रहेंगे। उक्त तिथियों को अपने समस्त कार्यों का नियमानुसार सम्पादन करेंगे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपको आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करें, उप निदेशक अपने अधीन समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्देशित करें कि आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करें। यदि आप द्वारा या बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो आप स्वयं एवं सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी जिम्मेदार होंगे, नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.2 ()/लेखा/बजट/मा.भु/आईसीडीएस/2017 48970-9282 जयपुर, दिनांक 28-3-18

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)/संयुक्त निदेशक (मोनिट्रिंग)/प्रभारी अधिकारी (भण्डार)/सहायक निदेशक (आईईसी)/सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/संयुक्त परियोजना समन्वयक -II/विश्व बैंक, मुख्यालय
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त।)
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त